

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 3930

दुर्ग, दिनांक 17/06/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposal for widening & upgradation to 2 lane of Lohara Rengadabri Junnapani chowki Road area-1.07 ha. regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/24943/2017.

संदर्भ :- 1) आपका कार्या. पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम. 115-683/2004 दिनांक 21.06.2017.
2) वनमण्डलाधिकारी, बालोद का पत्र क्र./तक.अधि./2021/762 दि. 9.4.2021.

▲ ▲ ▲

विषयांतर्गत निवेदन है कि, प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र (1) द्वारा Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposal for widening & upgradation to 2 lane of Lohara Rengadabri Junnapani chowki Road area-1.07 ha. का पंजीयन आबंटन किया गया है। प्रकरण के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा नवीन चेक लिस्ट के बिन्दु क्र. 1 से 44 तक में रकबा 5.530 हे. का पुनरीक्षित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, बालोद को प्रेषित किया गया है।

उक्त के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, बालोद द्वारा संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से लेख किया गया है कि, प्रकरण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रस्ताव पर सहमत होते हुए प्रपत्र-3 अनुशंसा सहित प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जो मूलतः आपकी ओर 03 प्रतियों में भाग-3 सहित आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- 1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस.सर्वे (प्रत्यावर्तित क्षेत्र) 3 प्रतियों में
3. जी.डी.पी.एस.सर्वे (विकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र) 3 प्रतियों में
4. टाईम लाईन एवं भाग-3

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 3931

प्रतिलिपि :-

1/ वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/ परियोजना प्रबंधक, छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 17/06/2021

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

14162

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

— “ नहीं ” —

15. क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

— “ सहमत ” —

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

— व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वनक्षेत्र 5.530 हे. भूमि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित है।

दिनांक :- 17 /06/2021

स्थान :- दुर्ग


(शालिनी रैना) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)